ISSN-2230-9659

पलामू जिले में औद्योगिक संसाधन का विवरणात्मक अध्ययन

Sima Kumari*
M.A. (Geography),
College of Commerce,
Patna, Bihar, India

सारांश

औद्योगिक संसाधन किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में इस अध्ययन में झारखंड राज्य के पलामू जिले में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का वर्णन किया गया है। पुराने समय में पलामू जिले के धरातलीय विशेषता, यातायात का उचित प्रबंध न होने, बिजली व तकनीकी अभाव के कारण उद्योगों का विकास प्रभावित हुआ है। फलस्वरुप यहाँ वृहत पैमाने के उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। उपलब्ध साधनों के आधार पर जिले में लघु, उद्योग, कुटीर उद्योग और पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है।

प्रस्तावनाः

औद्योगिक विकास को आज आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा के तौर पर जाना जाता है। यही कारण है कि विश्व के बड़े या छोटे, अमीर या गरीब, विकसित या विकासशील सभी देश। राज्य। क्षेत्र अपने संसाधनों द्वारा तेजी से औद्योगिक विकास करने में लगे हैं।[1]

झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास के अनेक संसाधन मौजूद है। यहाँ खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता, वन की उपलब्धता, धरातलीय विशेषता उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उबड़-खाबड़ स्थलाकृति, यातायात के साधनों का बाद में विकास, थोड़ी जनसंख्या वाली बिखरे गाँव, बहुत ही कम जनसंख्या में शहर तथा अनेक बाजारों तक पहुँचने में कठिनाईयों के कारण उद्योगों के विकास में अड़चने पैदा करती थी। सैंकड़ों वर्ष पूर्व, पलामू कपास उत्पादन का एक प्रधान क्षेत्र था जिससे कपड़े बुनने तथा बनाने का कार्य बहुत ही विकसित अवस्था में था। यह गृह उद्योग आज भी मौजूद है जिसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्यः-

पलामू जिले में उद्योग धंधों की वत्र्तमान स्थिति का आकलन एवं इनकी संभावनाओं के अध्ययन हेतु निम्न बिंदुओं पर अध्ययन इस शोध को आधार प्रदान करता है।

ISSN-2230-9659

- पलामू जिले में लघु उद्योग का अध्ययन।
- गृह उद्योगों का समुचित अध्ययन।
- पर्यटक उद्योग का विशेष अध्ययन।

लघु उद्योग

पलामू जिले में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों का विकास हुआ है।

सलैक उद्योग (SHELLAC INDUSTRY)

लाह उद्योग पलामू जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकसित उद्योग है। जिले में पलास की वृक्षों बहुतायत है जिससे बड़ी मात्रा में लाह का उत्पादन होता है। प्रधान पलास-लाह फसल अप्रैल और मई महीनों में होती है जिसे बैसाली फसल भी कहते हैं। लाह के उत्तमता **(quality)** का किस्म, रंग के चमकीलापन उनकी लाह कीड़ों की मोटाई पर निर्भर करता है।

पलामू जिला का महत्वपूर्ण लाह इकट्ठा करने का केन्द्र डाल्टेनगंज है। दूसरे मुख्य केन्द्रों में लातेहार और टोरी है। कुसुम लाह जो कि उत्तम होता है का उत्पादन लातेहार में होता है। इसका वार्षिक उत्पादन एक हजार मन है।

अमेरिका तथा दूसरे विदेशी बाजारों में सिन्थीटिक उत्पादन के कारण इसका विदेशी बाजार में मंदी आ गया है।

इंडियन लैक-चेस कमिटी केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें तथा लाह के उद्योगपति भारत में लाह के खपत का अधिक स्रोतों का पता लगा रहें हैं। इस उद्योग की स्थिरता के लिए स्वदेशी बाजार पर निर्भर करना श्रेयस्कर है। नामकूम (राँची) का लैब रिसर्च इंस्टीच्यूट ने इस दिशा में कुछ उपयोगी योगदान दिया है।

बीड़ी बनाने का उद्योगः-

बीड़ी बनाने का उद्योग पूरा पलामू जिला में फैला है। जंगलों से करीब **1,25,000** बैग केन्दु **(Kendu)** पत्तों का उत्पादन किया जाता है। बीड़ी फैक्ट्री में औसतन **50** मजदूर कार्यरत है।

डाल्टेनगंज की रजिस्टर्ड बीड़ी फैक्ट्रियाँ एवं स्टोर

- इन्दू बीड़ी फैक्ट्री।
- कृष्णा बीड़ी स्टोर।
- जैन बीड़ी स्टोर।
- जैसमुद्दीन बीड़ी स्टोर।
- विजय बीड़ी स्टोर।

आरा मिलः-

पलामू जिला में **24** आरा मशीनें है। डाल्टेनगंज में सात, लातेहार में सात, रहेला में चार तथा बारवाडीह में छह मशीनें स्थित है।

ISSN-2230-9659

बर्फ तथा क्रीम उद्योगः-

जिला में बर्फ तथा आइसक्रीम की रजिस्टर्ड फैक्ट्री की संख्या **69** है तथा कार्य फैक्ट्रियों की संख्या **81** है। श्रमिकों की कुल संख्या **2691** है तथा कुल घंटों की संख्या **7,18,983** है।

गृह उद्योग (COTTAGE INDUSTRY)

कपड़ा बुननाः-

पलामू जिला आदिवासी बहुल्य है और अधिकांश आदिवासियों का महत्वपूर्ण धंधा कपास और ऊन बुनना है। यह हाथों द्वारा बनाया गया मोटे किस्म का होता है पर बहुत मजबुत होता है। छिछारी घाटी में यह कार्य बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ लगभग **5** हजार लूम (**5000** लूम) द्वारा कपास तथा ऊन बनायी जाती है। ये सारे लूम प्राचीन बनावट के हस्तकरघे हैं। फ्लाई-सटल लूम जिले में बहुत ही कम संख्या में है। ऊन बुनने का काम एक विशेष जाति के लोगों द्वारा जिसे गड़ेरी कहते हैं, के द्वारा होता है। राज्य में करीब 75000 करघे हैं।[2]

झारखंड जिले	करघों का प्रतिशत
संथाल परगना	40
राँची	20
हजारीबाग	14
सिंहभूम	12
पलामू	8
धनबाद	6

टसर उद्योग (TASSAR INDUSTRY)

कोकून पालन जिला का एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। यह कार्य मुख्यतः आदिवासियों तथा गरीब तबके के लोगों के द्वारा किया जाता था। **1947** के बाद राज्य सरकार सिल्क उद्योग को कोकून पालने वालों की तकनीकी तथा आर्थिक मदद के द्वारा उत्थान करने का प्रयत्न किया गया। **1956** में सरकार ने डाल्टेनगंज में टसर सीड सप्लाई स्टेशन खोला, टसर पालने का कार्य लिसलिगंज नगर, डाल्टेनगंज तथा बरवाडीह थाना में अधिकतर होता है।

सर्वेक्षण द्वारा पाया गया कि खाद्य-वृक्षों जैसे आसन (**Asan**) अर्जुन, साल इत्यादि पलामू जिला में कोकून पालन के लिए पर्याप्त है पर वन विभाग द्वारा अधिक टैक्स तथा इन खाद्य-वृक्षों का बेरोक-टोक काटे जाने से इस उद्योग के विकास में तेज झटका लगा लेकिन डाल्टेनगंज में टसर सीड सप्लाई स्टेशन से इसका उत्पादन बढ़ा है।**[3]**

केटेचु उत्पादन (CATECHU MANUFACTURE):

जिले में बबुल कत्या का उत्पादन मल्लाहों द्वारा बबुल या कीकर (अकैसिया प्रजाति) वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। लोग वृक्षों को काटकर उसका छाल निकालकर, महीनों मेहनत कर उसका अर्क तैयार करते हैं। जमीन में गड्ढे खोदकर **8** से **10** दिनों तक इसे रखकर कड़ा किया जाता है फिर व्यापारी वर्ग इसे चैकोर आकार में काटकर बेचते हैं।**[4]**

यह कई तरह के बिमारियों जैसे-दस्त, खांसी, कुष्ठरोग, उच्चरक्तचाप, दमा, पेचिश आदि के उपचार में होता है। डाल्टेनगंज कूच निर्यात का मुख्य केन्द्र है।

ISSN-2230-9659

घी उद्योगः-

यह घरेलू उद्योग बहुत पुराना उद्योग है। **1950** के दशक के पहले जमे हुए तेल (डालडा) का उपयोग डाल्टेनगंज जिला मुख्यालय में अपरिचित था और वहाँ घी का ही प्रयोग होता था। पलामू से घी का निर्यात जमशेदपुर, राँची तथा कोलकत्ता को होता है।

अन्य गृह उद्योगः-

इसमें रस्सी बनाने, लोहारगिरी का काम, बर्तन निर्माण, सोनारी कार्य, मधुमक्खियों का पालन, बाँस का समान बनाना, चमड़े का समान बनाना, गुड़ बनाना आदि आता है।

पर्यटक उद्योग का विशेष अध्ययनः-

यूनाइटेड चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स के अनुसार "किसी भी क्षेत्रीय प्रान्तीय या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए पर्यटन की उन्नति एक मुख्य संसाधन है।"

यह उद्योग विश्व में द्रुतगति से विकसित उद्योग है। यह एक बिना धुँएवाली उद्योग है जो बिना किसी वस्तु के निर्यात के ही विदेशी आर्थिक लाभ प्रदान करता है।**[5]**

पर्यटन को विदेशों से बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति को परस्पर फलीभूत होने में सहायता मिलती है।

("Tourism is a social phenomenon with economic consequences")

पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों का ज्ञान विकसित होता है। तथा इन राष्ट्रों में नवीनता तथा पुरातत्व के हृदयावलोकन का अवसर प्राप्त होता है।**[6]**

बेतला जंगलः-

यह जंगल लातेहार में स्थित डाल्टेनगंज से **29** कि**0**मी**0** की दूरी पर घने जंगल का क्षेत्र है जिसमें शेर, जंगली सुअर तथा हिरण पाये जाते है।

बेतला नेशलन पार्कः-

झारखंड राज्य का यह एकमात्र पार्क है जो पलामू में है जिसकी स्थापना सन् 1986 में हुई थी। इस पार्क का विस्तार 231.67 वर्ग कि.मी. है। भारत सरकार ने इस पार्क को शेर संरक्षण कार्यक्रम 1973 में शामिल किया है। इस पार्क में शेर के अतिरिक्त लंगूर, सांभर, बत्तख, चीतल, भालू एवं अन्य जंगली जानवर हैं। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है।[7**]**

पलामू अभयारण्यः-

पलामू जिले में अवस्थित इस अभयारण्य की स्थापना सन् 1976 के जुलाई माह में हुई थी जिसका विस्तार 793.30 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है।

निष्कर्षः-

पलामू जिला में विशाल प्राकृतिक संसाधन का भण्डार है पर अभी भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिलों के जंगलों में बाँस काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इससे बाँस पल्प उद्योग के विकास की अपार संभावनाएँ छिपाडोहर के निकट है। बड़ी मात्रा में

ISSN-2230-9659

बाँस के पल्प छिपाडोहर से डेहरी-आन-सोन तथा कोलकत्ता के टिटागढ़ को भेजा जाता है। अगर इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो इस उद्योग को विकसित किया जा सकता है। फिर प्लाई वुड फैक्ट्री के विकास, अग्निईंट फैक्ट्री तथा केचु उद्योग के विकास की अपार संसाधन उपलब्ध है। अतः इन संसाधनों का समुचित उपयोग कर जिले के विकास को तीव्र बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची:-

1. तिवारी, आर**0** सी**0** भारत का भूगोल पृष्ठ 403।
2. शर्मा विमला चरण, विक्रम केशरी छोटानागपुर का भूगोल पृष्ठ 95।
3. Jharkhand silk textile and Handicraft development corporation limited (2006).
4. Chaudhary, P.C. Roy (1961) Bihar district Gazetters-Palamu (Patna Secretariat Press) pp. 238-39.
5. श्रोबिनसन एच. (1978) ए ज्योग्राफी ऑफ़ टुरिज्म (मैक डोनाल्ड एण्ड इभान्स प्लाईमाउथ)
6. नेगी जगमोहन (1999), पयर्टन एवं यात्रा के सिद्धांत (नई दिल्ली)
7. झारखंड पयर्टन विभाग।

Corresponding Author

Sima Kumari*

M.A. (Geography), College of Commerce, Patna, Bihar, India